



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 474] नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 21, 2019/श्रावण 30, 1941
No. 474] NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 21, 2019/SHRAVANA 30, 1941

वित्त मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 अगस्त, 2019

सा.का.नि. 584(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 164 के साथ पठित धारा 110 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, माल और सेवा कर परिषद की सिफारिश पर निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ और लागू होना:—

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम माल और सेवा कर अपील अधिकरण (प्रधान और सदस्यों की नियुक्ति और सेवा शर्तों) नियम 2019 हैं।

(2) ये राजपत्र में उसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

(3) ये नियम माल और सेवा कर अपील अधिकरण की राष्ट्रीय बेंच के प्रधान, राष्ट्रीय बेंच, प्रादेशिक बेंच, राज्य बेंच और क्षेत्रीय बेंच के न्यायिक सदस्य, तकनीकी सदस्य (केन्द्रीय), तकनीकी सदस्य (राज्य) पर लागू होंगे।

2. परिभाषाएं:—

(1) इन नियमों के संदर्भ से जब तक अन्यथा अपेक्षित न हो :-

(क) "अधिनियम" से केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) अभिप्रेत है।

(ख) "अपील अधिकरण" का वह अर्थ होगा जो अधिनियम की धारा 2 के खंड (9) में है।

(ग) "न्यायिक सदस्य" से अपील अधीकरण की राष्ट्रीय बेंच, प्रादेशिक बेंच, राज्य बेंच या क्षेत्रीय बेंच के न्यायिक सदस्य से अभिप्रेत है।

(घ) "प्रधान" से अपील अधिकरण के प्रधान से अभिप्रेत है।

(ङ) "सदस्य" से अपील अधिकरण के न्यायिक सदस्य या किसी तकनीकी सदस्य से अभिप्रेत है।

(च) "चयन समिति" से नियम 3 में निर्दिष्ट चयन समिति अभिप्रेत है।

(छ) "तकनीकी सदस्य" से अपील अधिकरण की राष्ट्रीय बेंच, प्रादेशिक बेंच, राज्य बेंच या क्षेत्रीय बेंच के तकनीकी सदस्य (केन्द्रीय) या तकनीकी सदस्य (राज्य) अभिप्रेत है।

(2) उन शब्दों और पदों के जो इसमें प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किंतु इस अधिनियम में परिभाषित हैं वही अर्थ होगा जो उक्त अधिनियम में है।

3. भर्ती की पद्धति

(1) राष्ट्रीय बेंच, प्रादेशिक बेंच के तकनीकी सदस्य (केन्द्रीय) या तकनीकी सदस्य (राज्य) केन्द्रीय सरकार द्वारा चयन समिति की सिफारिश पर नियुक्त किये जाएंगे, जिसमें निम्नलिखित होंगे :-

(i) भारत सरकार के कैबिनेट सचिव – अध्यक्ष, पदेन

(ii) भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) के सचिव – सदस्य, पदेन

(iii) भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के सचिव – सदस्य, पदेन

(iv) भारत सरकार, विधि मंत्रालय (विधि कार्य विभाग) के सचिव – सदस्य, पदेन

(v) केन्द्रीय अप्रत्यक्ष और सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष – सदस्य, पदेन

(vi) राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के वित्त विभाग या एक राज्य के कराधान विभाग का भारसाधक अपर मुख्य सचिव जिसे केन्द्रीय सरकार नामनिर्दिष्ट करे – सदस्य, पदेन

(2) राज्य बेंच या क्षेत्रीय बेंच के तकनीकी सदस्य (केन्द्रीय) केन्द्रीय सरकार द्वारा चयन समिति की सिफारिश पर नियुक्त किए जाएंगे, जिसमें निम्न लिखित होंगे :-

(i) भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) के सचिव – अध्यक्ष, पदेन

(ii) केन्द्रीय अप्रत्यक्ष और सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष – सदस्य, पदेन

(iii) भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के अपरसचिव – सदस्य, पदेन

(iv) भारत सरकार, विधि मंत्रालय (विधि कार्य विभाग) के अपर सचिव – सदस्य, पदेन

(3) राज्य बेंच या क्षेत्रीय बेंच के तकनीकी सदस्य (राज्य) राज्य सरकार द्वारा चयन समिति की सिफारिश पर नियुक्त किए जाएंगे, जिसमें निम्न लिखित होंगे :-

(i) संबन्धी राज्य सरकार के मुख्य सचिव – अध्यक्ष, पदेन

(ii) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार के वित्त विभाग या कराधान विभाग के अपर मुख्य सचिव या प्रधान सचिव /सचिव जिसे राज्य या संघ राज्य क्षेत्र सरकार विनिर्दिष्ट करे- सदस्य, पदेन

(iii) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार के कार्मिक मामलों के भार साधक अपर मुख्य सचिव या प्रधान सचिव (जी ए डी या कार्मिक) जिसे राज्य या संघ राज्य क्षेत्र सरकार विनिर्दिष्ट करे- सदस्य, पदेन

(iv) राज्य या संघ राज्य क्षेत्र सरकार के सचिव /प्रधान सचिव (विधि) – सदस्य, पदेन

(4)(क) भारत सरकार, वित्त मंत्रालय राजस्व विभाग का सचिव उपनियम (1) के अधीन चयन समिति का संयोजक होगा।

(ख) केन्द्रीय अप्रत्यक्ष और सीमा शुल्क बोर्ड का अध्यक्ष उपनियम (2) के अधीन चयन समिति का संयोजक होगा।

(ग) राज्य या संघ राज्य क्षेत्र सरकार का अपर मुख्य सचिव या प्रधान सचिव या सचिव (वित्त/कराधान) उपनियम (3) के अधीन चयन समिति का संयोजक होगा।

(5) चयन समिति अपनी सिफारिश को करने के लिए अपनी स्वयं की प्रक्रिया अवधारित करेगी।

4. चिकित्सीय स्वस्थता -

कोई व्यक्ति प्रधान या सदस्य के रूप में नियुक्त नहीं किए जाएंगे जब तक वह नियम 3 के उपनियम (1) के अधीन किसी नियुक्ति की दशा में केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किसी प्राधिकारी द्वारा और नियम 3 के उपनियम (2) और (3) के अधीन किसी नियुक्ति की दशा में, इस निमित्त तत्संबंधी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किसी प्राधिकारी द्वारा चिकित्सीय रूप से उपयुक्त घोषित न कर दिया गया हो।

5. वेतन और भत्ते

(1) अध्यक्ष को दो लाख पचास हजार रुपए (नियत) का वेतन प्रतिमाह संदत्त किये जाएंगे और अन्य भत्ते और फायदे जैसे वेतन और भत्ते पदधारण करने वाले केन्द्रीय सरकार के अधिकार के लिए अनुज्ञेय है।

(2) सदस्य को दो लाख पचास हजार रुपए (नियत) का वेतन प्रतिमाह और भत्ते पाने का हकदार भी होगा जैसे वेतन और भत्ते समूह "क" पद धारण करने वाले केन्द्रीय सरकार के अधिकारी को अनुज्ञेय है, संदत्त किये जाएंगे।

(3) जहाँ अध्यक्ष या किसी सदस्य के रूप में नियुक्त कोई व्यक्ति किसी पेंशन को ग्रहण करता है, ऐसे व्यक्ति के वेतन को उसके द्वारा ली जा रही पेंशन की कुल रकम से कम कर दिया जाएगा।

6. पेंशन, उपदान और भविष्य निधि

(1) जहाँ सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के सेवारत न्यायाधीश या सेवारत जिला न्यायाधीश या राज्य या केन्द्रीय सरकार के सेवारत सदस्य, अध्यक्ष या सदस्य के पद पर नियुक्त किए जाते हैं जैसी भी स्थिति हो अपील अधीकरण में दी गई सेवाएं, सेवा नियमों के अनुसरण में ली गई पेंशन जिसमें वह सेवारत है, के लिए शामिल की जाएगी और जैसी भी स्थिति हो वह सुसंगत भविष्य निधि नियम के उपबंधों या योगदान पेंशन योजना द्वारा शासित होगा।

(2) अपील अधीकरण में दी गई सेवा के लिए अतिरिक्त पेंशन और उपदान अनुज्ञेय नहीं होगा।

7. छुट्टी

(1) अध्यक्ष और सदस्य सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए 30 दिन की अर्जित छुट्टी के हकदार होंगे।

(2) अध्यक्ष और सदस्य को कैलेण्डर वर्ष में आठ दिन से अनधिक आकास्मिक छुट्टी प्रदान की जाएगी।

(3) छुट्टी के दौरान छुट्टी वेतन का संदाय केन्द्रीय सिविल सेवा (छुट्टी नियम) 1972 के नियम 40 द्वारा शासित होगा।

(4) अध्यक्ष और सदस्य उसके खाते में स्थित अर्जित छुट्टी के संबंध में छुट्टी नकदीकरण के हकदार होंगे इस शर्त के अधीन कि अधिकतम छुट्टी नकदीकरण जिसमें पूर्व सेवा से छुट्टी प्राप्ति के समय प्राप्त धन राशि भी शामिल है केन्द्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियम, 1972 के अधीन विहित सीमा से किसी भी स्थिति में अधिक नहीं होगी।

8. छुट्टी मंजूरी प्राधिकारी

(1) छुट्टी मंजूरी प्राधिकारी सदस्य के लिए अध्यक्ष और अध्यक्ष के लिए केन्द्रीय सरकार होगी।

(2) अध्यक्ष और सदस्य की विदेशी यात्रा के लिए मंजूरी प्राधिकारी केन्द्रीय सरकार होगी।

9. मकान किराया भत्ता

अध्यक्ष और सदस्य उसी दर पर मकान किराया भत्ते के हकदार होंगे जैसा तत्समय प्रास्थिति के भारत सरकार के समूह 'क' के अधिकारी को अनुज्ञेय है।

10. परिवहन भत्ता

अध्यक्ष और सदस्य तत्समय प्रास्थिति के भारत सरकार के समूह क के अधिकारी को प्रदान की जा रही सुविधाओं के अनुरूप यात्रा के लिए, कार्यालय और निजी उद्देश्य के लिए कर्मचारी कार की सुविधा के हकदार होंगे।

11. वित्तीय और अन्य हितों की घोषणा

अध्यक्ष और सदस्य अपना पद धारण करने से पहले इन नियमों के लिए उपाबद्ध प्रारूप III के अनुसार अपनी आस्तियों और अपना दायित्वों और वित्त और अन्य हितों की घोषणा करेगा।

12. प्रधान का विभाग अध्यक्ष की शक्तियों का प्रयोग करना

प्रधान विभाग अध्यक्ष की शक्तियों का प्रयोग:-

- (क) वित्तीय शक्ति नियम 1978 का प्रत्यायोजन
- (ख) साधारण वित्तीय नियम 2005 और
- (ग) मौलिक नियम और अनुपूरक नियम के उद्देश्य के लिये करेगा।

13. सेवा की अन्य शर्तें

- (1) अध्यक्ष और सदस्य की सेवा के निबंधन और शर्तों जिसके संबंध में इन नियमों में कोई अभिव्यक्त उपबंध नहीं दिया गया है तत्समय प्रास्थिति के भारत सरकार के समूह 'क' के अधिकारी के अनुरूप अनुज्ञेय होगी।
- (2) अध्यक्ष और सदस्य जिस तारीख से वे पद धारण करने से प्रविरत हों दो वर्ष की अवधि तक प्रबंध या प्रशासन से संबंधित कोई व्यक्ति जो अपील अधीकरण के सामने प्रक्रिया में कोई पक्षकार हो, कोई नियोजन स्वीकार नहीं करेंगे।

परंतु इस धारा में अंतर्विष्ट कोई बात किसी केन्द्रीय अधिनियम, राज्य अधिनियम के द्वारा या अधीन स्थापित केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी या किसी कानूनी प्राधिकारी या किसी निगम या कंपनी अधिनियम 2013 (2013 का 18) की धारा (45) में यथा परिभाषित सरकारी कंपनी के अधीन किसी नियोजन को लागू नहीं होगी।

14. पद और गोपनीयता की शपथ

प्रत्येक व्यक्ति जो अध्यक्ष और सदस्य नियुक्त होता है अपना पद धारण करने से पहले इन नियमों के लिए उपाबद्ध प्रारूप। और II में पद व गोपनीयता की शपथ लेगा और हस्ताक्षर करेगा।

15. शिथिल करने की शक्ति

जहाँ केंद्रीय सरकार की राय है कि ऐसा करना आवश्यक है या समीचीन है वहाँ उसके लिए कारण है उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

16. निर्वाचन

यदि इन नियमों के निर्वाचन से संबंधित कोई प्रश्न उत्पन्न होता है तो इस पर केन्द्रीय सरकार का निर्णय अंतिम होगा।

17. व्यावृत्ति

इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित हो।

18. सेवा की अन्य शर्तें

अध्यक्ष और किसी सदस्य की सेवा की अन्य शर्तें जिसके संबंध में इन नियमों में कोई अभिव्यक्त उपबंध नहीं दिया गया है तत्समय प्रास्थिति के भारत सरकार के समूह 'क' के अधिकारी के अनुरूप अनुज्ञेय होगी।

प्ररूप – I

(नियम 14 देखें)

अपील अधिाकरण के अध्यक्ष/सदस्य के लिए पद की शपथ का प्ररूप

में अमुक जो माल और सेवा कर अपील अधिाकरण के प्रधान/सदस्य के रूप में नियुक्त हुआ हूं सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं/ ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं श्रद्धापूर्वक और निष्ठापूर्वक प्रधान/सदस्य के रूप में अपनी पूरी योग्यता, ज्ञान और विवेक से अपने पद के कर्तव्यों का भय, पक्षपात, अनुराग, या द्वेष के बिना पालन करूंगा।

प्ररूप – II

(नियम 14 देखें)

अपील अधिाण के अध्यक्ष/सदस्य के लिए गोपनीयता की शपथ का प्ररूप

में अमुक जो माल और सेवा कर अपील अधिाण के प्रधान/सदस्य के रूप में नियुक्त हुआ हूं सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं/ ईशवर की शपथ लेता हूं कि जो विषय अपील अधिाण के प्रधान/सदस्य के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा या मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक के सिवाय जबकि ऐसे प्रधान/सदस्य के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा ।

प्ररूप – III

(नियम 1 देखें)

वित्तीय और अन्य हितों की घोषणा

में अमुक जो माल और सेवा कर अपील अधिाण के प्रधान/सदस्य के रूप में नियुक्त हुआ हूं अपने पूरे ज्ञान और उसके आधार पर घोषणा करता हूं कि विवरणी सलग्न पूर्ण, सत्य और सही है ।

[फा. सं. ए- 50050/99/2018-प्रशा.-1ग (सीस्टेट).पीटी]

ऋत्तिक पाण्डेय, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE**NOTIFICATION**

New Delhi, the 21st August, 2019

G.S.R. 584(E).—In exercise of the powers conferred by section 110 read with section 164 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on the recommendation of the Goods and Services Tax Council, hereby makes the following rules, namely:—

1. Short title, commencement and application.—

(1) These rules may be called the Goods and Services Tax Appellate Tribunal (Appointment and Conditions of Service of President and Members) Rules, 2019.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

(3) These rules shall apply to the President of the National Bench, Judicial Member, Technical Member (Centre), Technical Member (State) of the National Bench, Regional Bench, State Bench and Area Bench of the Goods and Services Tax Appellate Tribunal.

2. Definitions.—

(1) In these rules, unless the context otherwise requires, -

(a) “Act” means the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017).

(b) “Appellate Tribunal” shall have the meaning assigned to it in clause (9) of section 2 of the Act;

(c) “Judicial Member” means a Judicial Member of the National Bench, Regional Bench, State Bench or the Area Bench of the Appellate Tribunal;

(d) “President” means the President of the Appellate Tribunal;

(e) “Member” means a Judicial Member or a Technical Member of the Appellate Tribunal;

(f) “Selection Committee” means the Selection Committee referred to in rule 3; and

(g) “Technical Member” means a Technical Member (Centre) or a Technical Member (State) of the National Bench, Regional Bench, State Bench or the Area Bench of the Appellate Tribunal;

(2) Words and expressions used herein and not defined but defined in the Act shall have the same meanings as respectively assigned to them in the said Act.

3. Method of recruitment.-

(1) The Technical Member (Centre) and Technical Member (State) of the National Bench and Regional Benches shall be appointed by the Central Government on the recommendations of a Selection Committee consisting of.-

- (i) Cabinet Secretary to the Government of India – Chairperson, ex-officio;
- (ii) Secretary to the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) – Member, ex-officio;
- (iii) Secretary to the Government of India in the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions (Department of Personnel and Training) - Member, ex-officio;
- (iv) Secretary to the Government of India in the Ministry of Law (Department of Legal Affairs) – Member, ex-officio;
- (v) Chairman, Central Board of Indirect Taxes and Customs – Member, ex-officio;
- (vi) Additional Chief Secretary to the State or Union territory Government-in-charge of Finance Department or the Taxation Department of one State Government, as the Central Government may nominate – Member, ex-officio.

(2) The Technical Member (Centre) of the State Bench and Area Benches shall be appointed by the Central Government on the recommendations of a Selection Committee consisting of.-

- (i) Secretary to the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) – Chairperson, ex-officio;
- (ii) Chairman, Central Board of Indirect Taxes and Customs – Member, ex-officio;
- (iii) Additional Secretary to the Government of India in the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions (Department of Personnel and Training) - Member, ex-officio;
- (iv) Additional Secretary to the Government of India in the Ministry of Law (Department of Legal Affairs) - Member, ex-officio.

(3) The Technical Member (State) of the State Bench and Area Benches shall be appointed by the respective State Governments on the recommendations of a Selection Committee consisting of.-

- (i) Chief Secretary of the respective State Government- Chairperson, ex-officio;
- (ii) Additional Chief Secretary or Principal Secretary/Secretary to the State/Union territory Government in-charge of Finance Department or the Taxation Department, as the State or Union territory Government may specify - Member, ex-officio;
- (iii) Additional Chief Secretary or Principal Secretary/Secretary (GAD or Personnel) to the State/Union territory Government in-charge of Personnel matters as the State/Union Territory Government may specify- Member
- (iv) Secretary/Principal Secretary (Law) to the State or Union territory Government – Member, ex-officio;

(4) (a) The Secretary to the Government of India in the Department of Revenue, Ministry of Finance shall be the convener of the Selection Committee under sub-rule (1).

(b) Chairman, Central Board of Indirect Taxes and Customs shall be the convener of the Selection Committee under sub-rule (2).

(c) The Additional Chief Secretary or Principal Secretary or Secretary (Finance/Taxation) to the State or Union territory Government shall be the convener of the Selection Committee under sub-rule (3).

(5) The Selection Committee shall determine its own procedure for making its recommendation.

4. Medical fitness. –

No person shall be appointed as President or Member unless he is declared medically fit by an authority specified by the Central Government in the case of an appointment under sub-rule (1) of rule 3 and by an authority specified by the corresponding State or Union territory Government in this behalf, in the case of an appointment under sub-rules (2) and (3) of rule 3.

5. Salary and allowances. -

- (1) The President shall be paid a monthly salary of Rs. 2,50,000 (fixed) and other allowances and benefits as are admissible to a Central Government officer holding posts carrying the same pay and allowances.
- (2) The Member shall be paid a monthly salary of Rs. 2,25,000 (fixed) and shall be entitled to draw allowances as are admissible to a Central Government officer holding Group 'A' post carrying the same pay and allowances.
- (3) Where a person appointed as the President or a Member is in receipt of any pension, the pay of such person shall be reduced by the gross amount of pension drawn by him.

6. Pension, Gratuity and Provident Fund. –

- (1) Where a serving Judge of a Supreme Court, High Court, or a serving District Judge or a serving member of the State or Central Government is appointed to the post of President or Member, as the case may be, the service rendered in the Appellate Tribunal shall count for pension to be drawn in accordance with the rules of the service to which he belongs and he shall be governed by the provisions of the relevant Provident Fund Rules or the Contribution Pension System, as the case may be.
- (2) Additional pension and gratuity shall not be admissible for service rendered in the Appellate Tribunal.

7. Leave. –

- (1) The President and Members shall be entitled to thirty days of earned leave for every year of service.
- (2) Casual leave not exceeding eight days may be granted to the President and Member in a calendar year.
- (3) The payment of leave salary during leave shall be governed by rule 40 of the Central Civil Services (Leave) Rules, 1972.
- (4) The President and Members shall be entitled to encashment of leave in respect of the earned leave standing to his credit, subject to the condition that maximum leave encashment, including the amount received at the time of retirement from previous service shall not in any case exceed the prescribed limit under the Central Civil Service (Leave) Rules, 1972.

8. Leave sanctioning authority. -

- (1) The leave sanctioning authority for a Member shall be the President, and for the President, it shall be the Central Government.
- (2) The Central Government shall be the sanctioning authority for foreign travel of the President and Members.

9. House rent allowance. -

The President and the Member shall be entitled to house rent allowance at the same rate as are admissible to Group 'A' officer of the Government of India of corresponding status.

10. Transport allowance. –

The President and the Member shall be entitled to the facility of staff car for journeys for official and private purposes in accordance with the facilities provided to Group 'A' officer of the Government of India of a corresponding status.

11. Declaration of Financial and other Interests. -

The President and the Member shall, before entering upon his office, declare his assets and his liabilities and financial and other interests as per Form III annexed to these rules.

12. President to exercise powers of Head of Department.-

The President shall exercise the powers of Head of the Department for the purpose of:-

- (a) Delegation of Financial Power Rules, 1978;
- (b) General Financial Rules, 2005; and
- (c) Fundamental Rules and Supplementary Rules.

13. Other conditions of service. -

- (1) The terms and conditions of service of the President and Member, with respect to which no express provision has been made in these rules, shall be such as are admissible to a Group 'A' Officer of the Government of India of a corresponding status.
- (2) The President and a Member shall not, for a period of two years from the date on which they cease to hold office, accept any employment in, or connected with the management or administration of, any person who has been a party to a proceeding before the Appellate Tribunal:

Provided that nothing contained in this section shall apply to any employment under the Central Government or a State Government or local authority or in any statutory authority or any corporation established by or under any Central Act, State Act or a Government company as defined in clause (45) of section 2 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013).

14. Oaths of office and secrecy.-

Every person appointed to be President and Member shall, before entering upon his office, make and subscribe an oath of office and secrecy in Forms I and II annexed to these rules.

15. Power to relax.-

Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

16. Interpretation.-

If any question arises relating to the interpretation of these rules, the decision of the Central Government thereon shall be final.

17. Saving. -

Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

18. Other conditions of service.-

The other conditions of service of the President and a Member, with respect to which no express provision has been made in the rules, shall be such as are admissible to a Group 'A' officer of the Government of India of corresponding status.

FORM I

(See rule 14)

Form of Oath of Office for President/Member of the Appellate Tribunal

I, A. B., having been appointed as President/ Member of the Goods and Services Tax Appellate Tribunal do solemnly affirm/do swear in the name of God that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as President/Member to the best of my ability, knowledge and judgment, without fear or favour, affection or ill-will.

FORM II

(See rule 14)

Form of Oath of Secrecy for President/Member of the Appellate Tribunal

I, A. B., having been appointed as President/Member of the Goods and Services Tax Appellate Tribunal, do solemnly affirm/do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as President/Member of the Appellate Tribunal except as may be required for the due discharge of my duties as the President/Member.

Form III

(See rule 11)

Declaration of Financial and other Interests

I, A. B., having been appointed as President/Member of the Goods and Services Tax Appellate Tribunal, hereby declare that the return enclosed are complete, true and correct to the best of my knowledge and belief.

[F. No. A.50050/99/2018-Ad.1C(CESTAT).pt.]

RITVIK PANDEY, Jt. Secy.